

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ — /2026 दि0 लखनऊ: 17 अगस्त, 2026

—:: संशोधित आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम-64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह सितम्बर-2026 में जनपद कानपुर में दिनांक 01.09.2026 से 03.09.2026 तक युगल पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित युगलपीठ में डा0 दीना नाथ, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 वाराणसी एवं श्री दया शंकर तिवारी, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 कानपुर सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0 / 17.08.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/926 /2026 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2, 3 एवं 4 कानपुर।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, वाराणसी।
- 3- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,



(वीरेन्द्र कुमार)

निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।